



ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:—F-109(13)/SIHFW/MH-Recruit/ECG/2023/1385

दिनांक:—24/02/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, टोंक।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी— जिला चिकित्सालय टोंक, एसडीएच बस्सी, एसडीएच चौमू।

विषय:— अन्य राज्यों से अर्जित व्यावसायिक योग्यता का सत्यापन करवाये जाने बाबत।

संदर्भ:— निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 105, दिनांक 22.02.2024 की निरन्तरता में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा आपके अधीन पदस्थापित दंत चिकित्सकों को संस्थान द्वारा करवायी जा रही नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में नेत्र सहायक, दंत टेक्नीशियन एवं ईसीजी टेक्नीशियन पद की अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी, जिनके द्वारा राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों से अर्जित व्यावसायिक योग्यता की जांच का कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आप उक्त आदेश में आपके अधीन पदस्थापित अधिकारियों को उक्त कार्य हेतु पाबंद करते हुए, दिनांक 26.02.2024 को प्रातः 10.00 बजे प्रति राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में जांच कार्य हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने एवं उक्त के तत्काल पश्चात संबंधित राज्य हेतु प्रस्थान करने के संबंध में कार्यमुक्त करने के आदेश प्रसारित करवाकर, प्रति राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को प्रेषित करावें।

संदर्भित आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

निदेशक

क्रमांक:—F-109(13)/SIHFW/MH-Recruit/ECG/2023/1386-93

दिनांक:—24/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/अराजपत्रित) निदेशालय, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर/अजमेर।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित राजकीय चिकित्सा संस्था।
6. समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करवाते हुए संबंधित अधिकारी गण को ई-मेल पर भी प्रेषित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Dr. Rajendra Prasad



Digitally signed by Om Prakash Thakan
Designation: Director
Date: 2024.02.24 13:53:23 IST
Reason: Approved